

सीसीआरटी, क्षेत्रीय केंद्र, हैदराबाद में दिनांक 28 अगस्त से 11 सितम्बर, 2024

तक "एनईपी 2020 के अनुरूप शिक्षा में पुतलीकला की भूमिका"

विषय पर कार्यशाला पहले आओ पहले पाओ के आधार

पर प्रतिनियुक्त अंतिम/पुष्टिकृत शिक्षको की सूची

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	राज्य	दिनांक
1.	एम. डी. नरगट्टी	कर्नाटक	06 अगस्त 2024
2.	एस. जी. जुटानत्ती	कर्नाटक	06 अगस्त 2024
3.	प्रधान सोय	झारखंड	08 अगस्त 2024
4.	मुकेश षाड़ंगी	झारखंड	08 अगस्त 2024
5.	आशा कश्यप	झारखंड	08 अगस्त 2024
6.	अशोक भगत	झारखंड	08 अगस्त 2024
7.	ओम प्रकाश बाउरी	झारखंड	08 अगस्त 2024
8.	रामप्रसाद महतो	झारखंड	08 अगस्त 2024
9.	अभिषेक राज	झारखंड	08 अगस्त 2024
10.	पूजा सिन्हा	झारखंड	08 अगस्त 2024
11.	राखी रानी प्रसाद	झारखंड	08 अगस्त 2024
12.	श्वेता मिश्रा	झारखंड	08 अगस्त 2024
13.	नागेश्वर महतो	झारखंड	08 अगस्त 2024
14.	कमला मांझी	छत्तीसगढ़	08 अगस्त 2024
15.	कविता कोरी	छत्तीसगढ़	08 अगस्त 2024
16.	पद्मजा गुप्ता	छत्तीसगढ़	08 अगस्त 2024
17.	रंजीता राज	छत्तीसगढ़	08 अगस्त 2024
18.	हिरोंडा कोरम	छत्तीसगढ़	08 अगस्त 2024
19.	नानू कुमार यादव	छत्तीसगढ़	08 अगस्त 2024
20.	नीलमणि साहू	छत्तीसगढ़	08 अगस्त 2024
21.	अमित लाल प्रजापति	छत्तीसगढ़	08 अगस्त 2024
22.	गोपी राम चौधरी	छत्तीसगढ़	08 अगस्त 2024
23.	श्रद्धा शर्मा	छत्तीसगढ़	08 अगस्त 2024
24.	ओमप्रकाश मीना	राजस्थान	08 अगस्त 2024
25.	अनिलकुमार हगर	कर्नाटक	12 अगस्त 2024
26.	परमानंद सरसंबी	कर्नाटक	12 अगस्त 2024
27.	जे.सतीश कुमार	आंध्र प्रदेश	13 अगस्त 2024
28.	मंथक वांगनोहम	अरुणाचल प्रदेश	13 अगस्त 2024
29.	पैंटन गैपाहम	अरुणाचल प्रदेश	13 अगस्त 2024
30.	नटराज सोनारा	कर्नाटक	14 अगस्त 2024
31.	अमरम्मा	कर्नाटक	14 अगस्त 2024

यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त शिक्षक जिन्हें उनके संबंधित राज्य शिक्षा विभाग/DIET से प्रतिनियुक्त किया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा:

- कार्यशाला सेवारत सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षकों के लिए है जो कक्षा I से V तक पढ़ाते हों और उनकी आयु 52 वर्ष तक की होनी चाहिए। (पंजीकरण के समय जन्मतिथि का प्रणाम पत्र देना आवश्यक है)
- विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य को कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
- जो शिक्षक आपके रिकॉर्ड के अनुसार पहले ही सीसीआरटी द्वारा आयोजित "शिक्षा में कठपुतली की भूमिका" पर कार्यशाला में पहले भाग ले चुके हैं उन्हें दोबारा प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
- कोई भी संविदा या अस्थाई शिक्षक जैसे शिक्षा-कर्मी, शिक्षा-बंधु, शिक्षा-मित्र, शिक्षा मित्र, शिक्षक सुविधा प्रदाता, संविदा शिक्षक आदि प्रतिनियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।
- चूंकि देश के विभिन्न भागों से आए हुए शिक्षकों के लाभ के लिए विशेषज्ञ द्विभाषी अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में अपना अपना व्याख्यान देंगे इसलिए प्रतिभागियों को अंग्रेजी की समझ एवं उसमें काम करने आना चाहिए।
- कार्यशाला में कैम्प का वातावरण रहेगा और यह लम्बी अवधि के लिए होगा अतः शिक्षकों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।
- कोई भी प्रतिनियुक्त शिक्षक किसी भी परिस्थिति में अपने साथ कोई किसी साथी/परिवार के सदस्यों को नहीं ला सकते हैं।
- कार्यशाला में एक समय में एक विद्यालय से एक ही शिक्षक प्रतिनियुक्त किया जाना।
- आपका प्रतिनियुक्ति आदेश अंतिम आदेश माना जाएगा और सीसीआरटी किसी व्यक्ति के लिए चयन पत्र जारी नहीं करेगा।
- सीसीआरटी के साथ पत्राचार के लिए हमारा पत्र संदर्भ संख्या और तारीख अवश्य उद्धृत की जानी चाहिए।

कार्यशाला के पहले दिन पंजीकरण के लिए और कार्यशाला के अंतिम दिन वाहन भत्ता (टीए) के भुगतान के लिए, प्रतिनियुक्त शिक्षकों को कागज की अलग-अलग शीट पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र लाना होगा: -

- I. जन्मतिथि प्रमाण पत्र
- II. स्कूल से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र
- III. मूल वेतन प्रमाणपत्र
- IV. दो पासपोर्ट साइज फोटो
- V. रद्द चेक/पासबुक की फोटोकॉपी
- VI. टिकट/टिकट संख्या (आगे की यात्रा की मूल प्रति और वापसी यात्रा की फोटोकॉपी)। यात्रा के लिए पात्र श्रेणी और सबसे छोटे मार्ग के आने-जाने के टिकट खरीदने चाहिए

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य शिक्षा विभाग और संबंधित कार्यमुक्त प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक को दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और पंजीकृत नहीं किया जाएगा।